वित्तीय स्वीकृति

संख्या-4/2017/3205/52-3-16-बजट(8)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 17 फरवरी, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रान्तीय हज समिति को मानक मद 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र 0-□□-11/112/□□0□□0□□0/2016 दिनांक 26.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रान्तीय हज समिति के वेतन के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्यय में मानक मद संख्या- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 55,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 27,50,000/- की धनराशि शासनादेश सं0-1102/52-3-16-□□□(8)/2016 दिनांक 07.04.2016 द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है तथा 0 27,50,000/- की धनराशि अवशेष है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये प्रान्तीय हज समिति के वेतन के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन किये जाने हेतु अवशेष धनराशि ₹0 27,50,000/- (रू0 सत्ताइस लाख पचास हजार मा) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) □□□□□ □□□□ (गैर वेतन मद में) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनां□ 30.03.2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया □□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशों का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- □□र्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2250-अन्य समाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज □□□□ □□ □□□□□-20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-□0-11-143/□□-17, दिनांक 16 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

<u>संख्या-3205(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□□

4- कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्या □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5- □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण 0प्र0, □□□□

6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in